फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

गुरदेव सिंह बनाम सरकार

विविध प्रकरण सं001/2025

अधिवक्ता प्रार्थी :– विनोद गोदारा　　　　　　　　　　अधिवक्ता अप्रार्थी:–

मो.नम्बर :–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
31.07.2025	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विविध प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली वास्ते रिकॉर्ड तलबी हेतु दिनांक 19.08.2025 को पेश हो। अति० जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर	31/7/25
19.8.25	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार श्रीगंगानगर के पत्रांक 131 दिनांक 18-8-25 से रिपोर्ट प्राप्त हुआ। जो शा. मिसल हो। पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही दिनांक 9.09.25 को पेश हो।	
09.09.25	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही दिनांक 16.09.25 को पेश हो।	
16.09.25	पीठासीन अधिकारी [illegible] R.O. meeting [illegible] अतः पत्रावली दिनांक 24/9/25 को पेश हो।	

24.09.2025

अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की प्रार्थना पत्र 152 व सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण संख्या 02/2016 अनवानी गुरदेव सिंह आदि बनाम सरकार अंतर्गत धारा 13-ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम का निर्णय दिनांक 17.03.2017 को किया गया है इस निर्णय में निम्नांकित त्रुटि टाईप हो गई है, जो निर्णय में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है, जो निम्नांकित है:-

1. अनवान फैसला में प्रार्थी न. 08 बलविन्द्र सिंह है, परंतु बलविन्द्र सिंह की जगह सलविन्द्र सिह दर्ज हो गया है।
2. प्रार्थी न. 09 पर निर्मल सिंह है, परंतु निर्मल सिंह के स्थान निर्भय सिंह टाईप हो गया है।
3. प्रार्थी संख्या 10 गुरप्यार सिंह है, परतु निर्णय में टाईप करते समय गुरचरण सिंह दर्ज हो गया है।
4. प्रार्थी संख्या 07 नत्था सिंह के पिता का नाम हाकम सिंह दर्ज हो गया है, जबकि उसके पिता का नाम ठाना सिंह है।
5. प्रार्थी संख्या 12 मिठू सिंह के पिता का नामा ठाना सिंह दर्ज कर दिया गया है, जबकि उसके पिता का नाम मुंशा सिंह है।
6. निर्णय के पेज संख्या 04 में प्रथम लाईन में अर्जन सिंह दर्ज कर दिया है जबकि इसका नाम दर्शन सिंह है एवं नत्थासिंह, बलविन्द्र सिंह, निर्मल सिंह, गुरप्यार सिंह, दर्शन सिंह पिसरान कृष्ण सिंह लिख दिया है, जबकि इनके पिता का नाम ठाना सिंह है।

उक्त दुरूस्ती करने से निर्णय में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा अगर दुरूस्ती नहीं की जाती है तो निर्णय रद्दी कागज हो जाता है। इस तथ्य की जानकारी हम प्रार्थीगण को अब दिनांक 24.07.2025 को उक्त भूमि का बंटवारा करवाना चाहा तो निर्णय पढ़ने पर हुई है। न्याय हित में प्रार्थना पत्र की संख्या क से च के अनुसार दुरस्ती निर्णय दिनांक 17.03.2017 में की जावे।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि उक्त अनवानी प्रकरण अंतर्गत धारा 13-ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम में आदेश दिनांक 17.03.2017 पारित करते समय निर्णय में अंकित प्रार्थी संख्या 8 का नाम सलविन्द्र सिंह, निर्णय के पेज संख्या 04 की प्रथम लाईन में दर्ज अर्जन सिंह और नत्था सिंह, बलविन्द्र सिंह, निर्मल सिंह, गुरप्यार सिंह, दर्शन सिंह के पिता का नाम कृष्ण सिंह भूलवश दर्ज हो गया है।

अतः प्रार्थना पत्र 152 व सपठित धारा 151 सीपीसी आंशिक स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 02/2016 अनवानी गुरदेव सिंह आदि बनाम सरकार अंतर्गत धारा 13-ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम का निर्णय दिनांक 17.03.2017 में प्रार्थी संख्या 8 का नाम बलविन्द्र सिंह के स्थान पर सलविन्द्र सिह दर्ज किया गया है के स्थान पर बलविन्द्र सिंह पढा जावे एवं निर्णय के पेज संख्या 04 की प्रथम लाईन में दर्शन सिंह का नाम अर्जन सिंह दर्ज किया गया है के स्थान पर दर्शन सिंह पढ़ा जावे एवंम निर्णय के पेज संख्या 04 की प्रथम लाईन में नत्था सिंह, बलविन्द्र सिंह, निर्मल सिंह, गुरप्यार सिंह, दर्शन सिंह के पिता का नाम थाना सिंह के स्थान पर कृष्ण सिंह दर्ज किया गया है के स्थान पर थाना सिंह पढ़ा जावे। आदेश दिनांक 17.03.2017 का अन्य भाग यथावत रहेगा।

आदेश आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner